



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स (जी.एस.टी. सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या- 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल - dgmtaxupcl@gmail.com

Room No.- 320, IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320.

पत्र सं०: 582 / का० टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल / 2021 /

परिपत्र

दिनांक: ०१ / ११ / 2021

विषय: केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी के कार्यों के सम्बन्ध में।

कृपया इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश सं० 18/का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020 दिनांक 06.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया था कि उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के Government Entity होने के कारण उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निम्नलिखित सेवाएँ जी०एस०टी० से Exempt होंगी-

"Government Entity द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी को दी जाने वाली सेवाओं/कार्यों, जो कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी द्वारा अनुदान (Grant) देकर कराया गया हो, पर जी०एस०टी० की दर शून्य होगी।"

उपरोक्त Exemption का लाभ प्राप्त करने हेतु तीन शर्तों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

क्रम सं०	शर्त	अनुपालन
1.	सेवा प्रदाता का Government Entity होना।	उ०प्र०पा०का०लि० Government Entity है।
2.	सेवा प्राप्त कर्ता का केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी होना।	इस सम्बन्ध में उचित प्रपत्र जमाकर्ता से प्राप्त किये जाये जिससे जमाकर्ता का केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी होना सुनिश्चित हो सके।
3.	प्रतिफल की राशि के अनुदान "Grant" रूप में प्राप्त होना।	इस सम्बन्ध में उचित प्रपत्र जमाकर्ता से प्राप्त किये जाये जिससे प्रतिफल अनुदान के रूप में मिला है इसकी पुष्टि हो सके।

अतः ऐसे जमा कार्य जिसमें जमा कर्ता केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी हो, ऐसे प्रकरणों में जमाकर्ता द्वारा अनुदान की पुष्टि उपरान्त जमा के स्थान पर राजस्व/पूँजीदायी अनुदान (Revenue/Capital Grant) का प्राक्कलन तैयार किया जाये एवं तदनुसार लेखों में प्रविष्टी करी जाये।

(ए०के० अवस्थी)

मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

पत्रांक: 582 / का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल / 2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का०प्र० एवं प्रशा० उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।

3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर को इस आशय के साथ उपरोक्त के आधार पर डिस्कॉम लेवल पर पृथक दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
6. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. अनुसचिव (स० प्र० लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी०एम०यू०/वेतन एवं लेखा, उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम नं० 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(ए०के० अवस्थी)

मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)